न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – दामोदर सिंह आर.ए.एस.

वाद संख्या – 96 / 18

सुरेन्द्रसिंह उम्र 60 साल पुत्र बदनसिंह जाति जाट निवासी मकान नं. 12 रोजबिला सत्यनारायन मन्दिर के पास भरतपुर

———वादी

बनाम

1. दयाराम पुत्र कल्लीराम जाति जाट निवासी नगला बरताई तहसील व जिला भरतपुर।
2. वीरेन्द्र पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी नगला बरताई
3. हेमन्त पुत्र दयाराम तहसील व जिला भरतपुर ।

———असल प्रतिवादीगण

4. महेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री बदनसिंह जाति जाट निवासी घेर नसवारिया गंगा मन्दिर भरतपुर।

———तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक –09.03.2021**

1. वादीगण ने दिनांक 03.07.2018 को यह राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बरान 2619 / 0.01, 2620 / 2.51, 2621 / 3682 / 0.10, 2622 / 3683 / 0.10, 2626 / 3684 / 0.20, 2627 / 0.41, 2628 / 1.55 किता 7 रकबा 4.88 हैक्टेयर जो कि ग्राम नगला कसौटा पटवार हल्का बछामदी नं. 02 तहसील भरतपुर में स्थित है। इसमें वादी 1/2 हिस्से का तरतीवी प्रतिवादी 1/2 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है। तरतीवी प्रतिवादी आज अदालत में हाजिर नहीं होने के वजह से तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी शामलात में काश्त करते है एवं असल प्रतिवादी का आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। दिनांक 29.06.18 को वादी व तरतीवी प्रतिवादी मौके पर फसल बोने गये तो वहाँ असल प्रतिवादीगण आ गयेऔर ये धमकी दी कि हम तुम्हे खेत को नहीं बोने देगे और आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा करेगें। वदी बजह वादी डिक्री हुक्त इम्तनाई दवामी खिलाफ प्रतिवादीगण असल इस अम्र की जारी करा पाने का अधिकारी है कि असल प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न करें और काश्त करने से न रोकें। अन्त मे वादी ने यह निवेदन किया है कि डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी खिलाफ असल

प्रतिवादी इस अम्र की जारी फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बरान 2619/0.01, 2620/2.51, 2621/3682/0.10, 2622/3683/0.10, 2626/3684/0.20, 2627/0.41, 2628/1.55 किता 7 रकबा 4.88 हैक्टेयर जो कि ग्राम नगला कसौटा पटवार हल्का बछामदी नं. 02 तहसील भरतपुर में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत बेजा नहीं करें और काश्त करने से न रोके।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थीगण जरिये सम्मनों से एवं उपरान्त रजिस्टर ए.डी. अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03 हेतु दिनांक 31.07.2018 एवं अप्रार्थी संख्या 04 हेतु दिनांक 17.082019 पेश की गई। रजिस्टर ए.डी. पेश होने के बाद प्रतिवादीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर आदिनांक तक लौट कर प्राप्त नहीं हुई। असल प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03 के विरूद्ध दिनांक 02.04.2019 एवं तरतीवी प्रतिवादी 04 के विरूद्ध दिनांक 11.02.20 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. वादी द्वारा अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सं. 2071–74 ग्राम नगला कसौदा की पेश की गई। मौखिक साक्ष्य में वादी भूपेन्द्रसिंह ने शपथ पत्र पर बयान Pw1 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की।

4. वादी के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी में वादी एवं तरतीवी प्रति संख्या 04 महेन्द्रपालसिंह 1/2–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। दिनांक 29.06.2018 को मौके पर विवादित आराजी को जोतेने गये तो असल प्रतिवादीगण ने धमकी दी कि विवादित आराजी का जोतने बोने नहीं देंगे एवं जबरन कब्जा करेंगे। इसलिए असल प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित आराजी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजामहत नहीं करे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गयां वादी के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। नकल जमाबन्दी हाल सं. 2071–74 ग्राम नगला कसौदा के अनुसार वादी भूपेन्द्रसिंह एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 04 महेन्द्रपाल सिंह 1/2–1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज अभिलेख है। प्रतिवादीगण के नाम का इन्द्राज किसी भी राजस्व रिकार्ड में नहीं है। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जबाब दावा तक पेश नही किया गया है। विवादित अराजी पर कब्जे के प्रमाण में वादी भूपेन्द्र सिंह द्वारा शपथ पत्र (Pw-1) पेश किया गया है। जब तक कोई प्रतिकूल साक्ष्य न हो अभिलिखित खातेदार के ही कब्जे काश्त की अवधारणा की जाती है। प्रतिवादीगण की इस आराजी से कोई भी सम्बन्ध होना प्रमाणित नहीं है। दावा वादी स्वीकार योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी स्वीकार किया जाता है। असल प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2619/0.01, 2620/2.51, 2621/3682/0.10, 2622/3683/0.10, 2626/3684/0.20, 2627/0.41, 2628/1.55 कुल किता 7 रकबा 4.88 हैक्टेयर जो कि ग्राम नगला कसौटा पटवार हल्का बछामदी नं. 02 तहसील भरतपुर में स्थित है, पर वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर